प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: **माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा**

एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एन. चंद्राकर

दांडिक अपील क्रमांक 137 / 2002

राजेश कुमार व अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचार हेतु निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

न्यायमूर्ति

19-10-2009

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एन. चंद्राकर

मैं सहमत हूँ।

सही/-

आर. एन. चंद्राकर

न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु दिनांक 21-10-2009 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: **माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा**

एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एन. चंद्राकर

दांडिक अपील क्रमांक 137 / 2002

अपीलार्थीगण 1. राजेश कुमार, उम्र लगभग 22 वर्ष

2. नन्द कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष

दोनों आत्मज श्री हीरामन पाण्डेय, निवासी ग्राम पुटकीकला पुलिस चौकी पांडातराई, पुलिस चौकी कुंडा, तहसील पंडारिया, जिला कवर्धा (छग)

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला दंडाधिकारी, कवर्धा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

निर्णय

(दिनांक 21.10.2009 को पारित)

न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा;

1. अपीलार्थीगण ने वर्तमान दांडिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत सत्र प्रकरण क्र. 237/99 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2001 के विरुद्ध दायर की है जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली, जिला बिलासपुर ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 341/34, 302/34, और 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया है और

दोनों अपीलार्थीगण को गोपाल गिरी और परमेश्वर गिरी की हत्या कारित करने के लिए दो बार 1 महीने के साधारण कारावास तथा आजीवन कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपए का जुर्माना भरने का दंडादेश दिया है, एवं जुर्माना न भरने पर 6 महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास का दंडादेश दिया है।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में यह है कि दिनांक 3.7.1999 को रात लगभग 9 बजे शिकायतकर्ता चंद्र सेन गिरि (अ.सा.-1) अपने भाई रवि सेन (अ.सा.-7) के घर की ओर जाते समय अपीलार्थीगण को कुल्हाड़ी और भाला (बरछि) से लैस होकर टैंक की ओर जाते देखा। उसी रात लगभग 9.45 बजे, हेमगिरी (अ.सा.-4) ने उन्हें बताया कि अपीलार्थीगण ने दयाली बगीचा के पास परमेश्वर गिरी और गोपाल गिरी की हत्या कर दी है, जिसके बाद वे घटनास्थल पर गए और दोनों को मृत पाया। हेमेन्द्र गिरी (अ.सा.-4) और राघव यादव (अ.सा.-10) घटना के साक्षी हैं। घटना की रिपोर्ट चन्द्र सेन गिरी द्वारा पुलिस चौकी पांडातराई में दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर परमेश्वर गिरी की मृत्यु के संबंध में प्र.पी-1 तथा गोपाल गिरी की मृत्यु के संबंध में प्र.पी-2 की मर्ग सूचना दिनांक 4.7.1999 को लगभग 00.30 बजे तथा 00.35 बजे दर्ज की गई। तत्पश्चात, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-3 दिनांक 4.7.1999 को 00.45 बजे दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हुई और वहाँ मौका-नक्शा प्र.पी.-4 तैयार किया। मृतक परमेश्वर और गोपाल के शवों की मृत्यु समीक्षा प्र.पी.-13 और प्र.पी.-15 गवाहों की उपस्थिति में तैयार की गई। हल्का पटवारी भाईलाल अनंत द्वारा नज़री नक्शा प्र.पी.-7 तैयार किया गया। अस्पताल से प्राप्त दोनों मृतक व्यक्तियों के पहने हुए कपड़ों की सीलबंद पैकेट को प्र.पी-10 के अनुसार जब्त किया। अपीलार्थी नंदकुमार के ज्ञापन (प्र.पी-16) के आधार पर अपराध कारित करने में इस्तेमाल किया हुआ रक्त से सना हथियार, भाला को प्र.पी-17 के अनुसार जब्त किया गया। इसी प्रकार, अपीलार्थी राजेश कुमार के ज्ञापन (प्र.पी-18) के अनुसार अपराध कारित करने में इस्तेमाल किया हुआ रक्त से सना हथियार, कुल्हाड़ी और प्लास्टिक बैग को प्र.पी-19 के अनुसार जब्त किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा पेश किए जाने पर, उनके पहने हुए कपड़ों को प्र.पी.-20 एवं प्र.पी.-21 के अनुसार जब्त किया गया। घटनास्थल पर मृत व्यक्तियों के शव के आस पास की सादी मिट्टी, खून से सनी मिट्टी, चप्पलों के जोड़े प्र.पी.-22 एवं प्र.पी.-23 के अनुसार जब्त किए गए। खून से सना हुआ स्कूटर पंजीयन क्रमांक MP24-Y-7079, घटनास्थल पर पड़ा खून से सना चाकू और भाला, प्र.पी-24 के अनुसार जब्त किए गए। मृत व्यक्तियों के शवों को शव परीक्षण के

लिए शासकीय अस्पताल पंडरिया में प्र.पी-27 और प्र.पी-29 के अनुसार भेजा गया, जहां डॉ. पी. एल. कुर्रे (अ.सा.-13) ने शव परिक्षण किया तथा प्र.पी-28 एवं प्र.पी-30 की रिपोर्ट प्रदान की।

4. अपीलार्थी राजेश को भी चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पांडातराई भेजा गया, जहां डॉ. अशोक सिंह (अ.सा.-12) ने उसकी जांच की और उसकी चिकित्सा-विधिक जांच रिपोर्ट प्र.पी-25 प्रदान की।

5. विवेचना के दौरान जब्त की गई वस्तुओं को प्र.पी-31 और प्र.पी-33 के अनुसार शासकीय अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया। डॉ. कुर्रे (अ.सा.-13) ने अपनी राय प्र.पी-32 में वस्तुओं पर रक्त जैसे पदार्थ लगा होना बताया, तथापि, उत्पत्ति की पुष्टि के लिए रासायनिक परीक्षण की सलाह दी। डॉक्टर ने अपनी राय प्र.पी.-34 में यह भी कहा है कि मृतक के शरीर पर मौजूद चोटें जांच के लिए भेजे गए हथियारों से कारित हो सकती हैं। हालाँकि, उन्होंने आगे सलाह दी कि उत्पत्ति की पुष्टि के लिए हथियारों को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जाए। विवेचना अधिकारी ने शवों को शव परीक्षण के लिए भेजने से पहले, फोटोग्राफर द्वारा घटना स्थल का फोटोग्राफ प्र.पी.-35 (1) से प्र.पी.-35 (9) खिंचवाया था। विवेचना के दौरान ज़ब्त किए गए खून से सने वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया था जो प्र.पी-40 है और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.पी-41 है। रासायनिक परीक्षण में, अपीलार्थीगण से ज़ब्त किए गए पहने हुए कपड़े और हथियार पर खून पाया गया। न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला ने रक्त से सने पाए गए वस्तुओं को प्र.पी-42 के अनुसार रक्त की उत्पत्ति और समूह की पुष्टि के लिए सीरम विज्ञानी के पास भेज दिया। सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट प्र.पी-43 है, जिसके अनुसार अपीलार्थी नंदकुमार के लोहे का भाला (बरची) और लुंगी, अपीलार्थी राजेश की फुल पैंट और कुल्हाड़ी पर मानव रक्त पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विवेचना पूर्ण होने के बाद, आरोपी/अपीलार्थीगण के खिलाफ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली के न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को प्रकरण की सुनवाई के लिए प्रकरण स्थानांतरित कर सौंप दिया गया। सुनवाई के दौरान, अभियोजन ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 14 गवाहों का साक्ष्य लिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत

अभियुक्त/अपीलार्थी के कथन दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन के मामले में अपने विरुद्ध पेश परिस्थितियों से इनकार किया।

7. विद्वान विचरण न्यायालय ने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद अपीलार्थी को दोषी पाते हुए उपरोक्त अनुसार सजा सुनाई।

8. परमेश्वर गिरि और गोपाल गिरि की हत्या होना अविवादित है। इसके अलावा हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) के साक्ष्य से, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और जिसने अपीलार्थीगण को मृत व्यक्तियों पर कुल्हाड़ी और भाले से हमला करते देखा है, तथा डॉ. पी.एल. कुर्रे (अ.सा.-13) के साक्ष्य से, जिसने मृतकों के शरीर का शव परीक्षण किया है और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई हैं और जिसने आगे यह राय दी है कि मृतक गोपाल और परमेश्वर की मृत्यु उनके गले पर मौजूद चोटों से अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुई और दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी, जिससे मृतक परमेश्वर और गोपाल की हत्यात्मक प्रकृति की मृत्यु स्थापित होती है।

<u>मृतक गोपाल गिरि को लगी चोटें</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- दाहिने कंधे पर 4 सेंटीमीटर के आकार का खरोंच।
- दाहिने कंधे पर 3/4 x 1/4 इंच के आकार का खरोंच।
- छाती के दाहिनी ओर 3 x 1/4 इंच के आकार का खरोंच।
- चोट क्रमांक 3 के नीचे 1 x 1/4 सेंटीमीटर के आकार का खरोंच।
- छाती के दाहिनी ओर नीचे 1 x 1/4 इंच के आकार का खरोंच।
- चोट क्रमांक 5 के नीचे 3/4 x 1/4 इंच के आकार का खरोंच।
- गर्दन के बाईं ओर 4 सेंटीमीटर x 1/2 सेंटीमीटर x 1/4 सेंटीमीटर के आकार का छिद्रित घाव।
- आँख के दाहिनी ओर नीचे 6 x 2 x 3 सेंटीमीटर के आकार का छिद्रित घाव।
- गर्दन के दाहिनी ओर 6 x 3 x 6½ सेंटीमीटर के आकार का छिद्रित घाव।
- बायीं आंख की भौं के ऊपर 3½ सेंटीमीटर x 1/4 सेंटीमीटर के आकार का छिद्रित घाव।

<u>मृतक परमेश्वर गिरि को लगी चोटें;</u>

- सिर के पार्श्विक क्षेत्र के बाईं ओर हड्डी में 4 सेंटीमीटर x 1/2 सेंटीमीटर गहरा छिद्रित घाव।

- छाती के बायीं ओर 4 सेंटीमीटर x 2 सेंटीमीटर x 1 सेंटीमीटर के आकार का छिद्रित घाव।
- गर्दन के बीच में 8 x 3 x 7 सेंटीमीटर के आकार का छिद्रित घाव।
- चोट क्रमांक 3 के नीचे 9½ x 3 सेंटीमीटर के आकार का छिद्रित घाव। थक्कायुक्त रक्त मौजूद था।

9. श्री अरुण कोचर, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) के साक्ष्य पर आधारित है, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा करता है। उसने यह भी दावा किया कि जब शिकायतकर्ता चंद्र सेन गिरी (अ.सा.-1) पुलिस थाने गया और प्र.पी-3 की रिपोर्ट दर्ज कराई तो वह उसके साथ थे। हालाँकि, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने स्वयं रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई और उसका कथन उसी दिन क्यों लेखबद्ध नहीं किया गया। इस संबंध में हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) का स्पष्टीकरण विवेचना अधिकारी श्री डी.पी. तिवारी (अ.सा.-14) के साक्ष्य से झूठा प्रमाणित होता है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) का कथन रात्रि 12.30 बजे तक दर्ज नहीं किया था और उसने घटना के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया जबकि वह उपस्थित था। अपीलार्थीगण को हथियारों के साथ टैंक की ओर बढ़ते देखने के बाद भी चन्द्र सेन द्वारा सचेत नहीं करने तथा रवि सेन (अ.सा.-7) को सूचित न करने का आचरण उसके उपरोक्त कथन को गलत सिद्ध करता है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) द्वारा अभियुक्तों को स्कूटर की हेडलाइट की सहायता से देखने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-3) में उल्लेखित नहीं है और यह बिल्कुल असंभव है कि उपरोक्त गवाह को घटना देखने का अवसर मिला होगा, जो उस सड़क से कुछ दूरी पर घटित हो रही थी जिस पर वे अपना स्कूटर चला रहे थे। स्वतंत्र गवाह राघव यादव (अ.सा.-10) हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) के कथन के कुछ सारवान बिन्दुओं का समर्थन या पुष्टि नहीं करता है तथा उसने यह भी कथन किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा। विचरण न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि अपीलार्थीगण और मृतक व्यक्तियों के परिवारों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और इसलिए, अपीलार्थीगण को उपरोक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। विवेचना अधिकारी द्वारा हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) का कथन तत्काल लेखबद्ध न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जबकि उसका कथन दिनांक 4.7.1999 को शाम को दर्ज किया गया था। चन्द्र सेन गिरि (अ.सा.-1) के साक्ष्य में महत्वपूर्ण चूक और विरोधाभास हैं और सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट अभियोजन का समर्थन नहीं करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री शुक्ला ने तर्क किया कि अपीलार्थीगण को तत्काल दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-3) में नामित किया गया है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हेमेंद्र गिरि (अ.सा.-4) का नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित है। बचाव पक्ष प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता का खंडन नहीं कर सका। भौतिक बिन्दुओं पर उसके कथन की पुष्टि राघव (अ.सा.-10) के साक्ष्य से भी होती है। अपीलार्थीगण के ज्ञापनों के आधार पर जब्त किए गए अपराध के हथियार, कुल्हाड़ी और भाला, तथा पहने हुए कपड़े पर भी मानव रक्त पाया गया। इस प्रकार, विचरण न्यायालय द्वारा उपरोक्त साक्ष्य का अवलंबन लेना तथा अपीलार्थीगण को दोषी ठहराना उचित था।

11. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। हमने अभिलेख तथा आलोच्य निर्णय का भी अवलोकन किया है।

12. विचरण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हेमेन्द्र गिरी (अ.सा.-4) के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध पाया है। यह निष्कर्ष दिया कि परमेश्वर गिरि और अपीलार्थी नंद कुमार के बीच नन्द कुमार द्वारा रवि सेन (अ.सा.-7) की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना के कारण विवाद था, तथा नंदकुमार के विरुद्ध उपरोक्त अपराध के लिए प्रकरण चला था। उपरोक्त घटना के कारण उनके बीच कुछ 'मारपीट' भी हुई थी और इसलिए, उनके पास अपराध कारित करने का उद्देश्य था। हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) के कथन की पुष्टि राघव यादव (अ.सा.-10) के साक्ष्य तथा चन्द्र सेन (अ.सा.-1) एवं रवि सेन (अ.सा.-7) के साक्ष्य से भी होती है। अपीलार्थी राजेश के दाहिने हाथ पर खरोंच आई थी, लेकिन इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उसे यह चोट कैसे लगी। इसके विपरीत, उसने इस बात से इनकार किया है कि उसे कोई चोट लगी है और तदनुसार, विचरण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है। अपीलार्थीगण से जब्त किए गए अपराध के हथियारों तथा कपड़ों में मानव रक्त मौजूद था। अपीलार्थीगण ने उपरोक्त वस्तुओं में रक्त की उपस्थिति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और अभियोजन के मामले को स्वीकार करने के लिए इसी परिस्थिति का अवलंबन लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. चन्द्र सेन गिरि (अ.सा.-1) ने कथन किया है कि घटना दिनांक को लगभग 8 बजे शाम को उसने अपीलार्थीगण को हथियारों से लैस होकर टैंक की ओर बढ़ते देखा था। उसने अपने भाई रवि सेन (अ.सा.-7) को अपनी आशंका व्यक्त की। उसी रात 9 से 9.45 बजे के बीच, हेमेंद्र गिरि (अ.सा.-4) ने उसे बताया कि अपीलार्थीगण ने परमेश्वर और गोपाल की हत्या कर दी है। वे घटनास्थल पर गए और दोनों मृतकों के शवों को देखा और उसके बाद, वह

हेमेन्द्र गिरी के साथ स्कूटर पर पुलिस चौकी पांडातराई में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए रवाना हो गया। हालांकि, चूंकि थाना प्रभारी गश्त पर गए हुए थे, इसलिए उसने थाना प्रभारी का इंतजार किया, जिन्होंने थाने में वापस आकर उसे अंदर बुलाया और उसकी रिपोर्ट दर्ज की। पूछने पर उसने यह भी बताया कि हेमेन्द्र गिरि भी उसके साथ आया हैं। हेमेन्द्र गिरी से भी पूछताछ की गई लेकिन उसका कथन लेखबद्ध नहीं किया गया और थाना प्रभारी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। पुलिस के समक्ष अपने कथन प्र.डी-1 में आरोपियों को हथियारों के साथ टैंक की ओर जाते हुए देखने पर आशंका व्यक्त करने के संबंध में मामूली चूक की ओर इशारा किया गया है। इस प्रश्न के जवाब में कि उनके साथ आए हेमेन्द्र गिरी ने रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई, इस साक्षी ने बताया कि थाना प्रभारी ने उन्हें थाने में बुलाकर घटना के बारे में पूछा और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने पूछा कि उसके साथ कौन है तो उसने बताया कि वह हेमेन्द्र गिरी है और घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, हालांकि तब तक आधी से ज्यादा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध हो चुकी थी। उसने यह भी कथन किया है कि थाना प्रभारी ने हेमेन्द्र गिरी से मौखिक पूछताछ की थी। अपने कथन के कंडिका क्रमांक 31 में उसने रवि सेन की बेटी और अपीलार्थी नंदकुमार के बीच प्रेम संबंध के बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है। हालांकि, उन्होंने यह स्वीकार किया कि नंदकुमार और लीना के भाई के बीच 'मारपीट' हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उपरोक्त दुश्मनी के कारण वह आरोपियों को झूठा फंसा रहे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अ.सा.-2 पुषुराम और अ.सा.-3 सुमित्रा बाई ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और वे पक्षद्रोही हो गए हैं।

15. हेमेन्द्र गिरी (अ.सा.-4) ने कथन किया है कि दिनांक 3.7.1999 को रात्रि में लगभग 9.15 बजे वह अपने स्कूटर से राघव यादव के साथ ग्राम गंडई जा रहा था, क्योंकि उसकी बेटी ग्राम गंडई में बीमार थी। रास्ते में दानी टैंक के पास उसने सड़क पर एक स्कूटर गिरा देखा, उसने यह भी देखा कि दो व्यक्ति जमीन पर थे और अन्य दो व्यक्ति उन पर हमला कर रहे थे। उसने अपीलार्थीगण नंदकुमार और राजेश को हमलावर होना बताया। वे भाले और कुल्हाड़ी से हमला कर रहे थे। आरोपी टैंक और पालनसारी रोड की ओर भाग गए। उसने लेटे हुए व्यक्तियों की पहचान गोपाल और परमेश्वर के रूप में की। परमेश्वर के सिर पर चोटें थीं, जबकि गोपाल के गाल और गर्दन पर। उनके घावों से खून बह रहा था और परमेश्वर दर्द से तड़प रहा था। उसने घटना की जानकारी अपने चाचा रवि सेन और उसके बाद चंद्र सेन गिरि व अन्य परिवारजनों को दी। इस साक्षी ने नंदकुमार और परमेश्वर गिरी के बीच पूर्व में

हुई छेड़छाड़ की घटना और छेड़छाड़ के कारण हुए झगड़े के बारे में भी बयान दिया है। इस साक्षी का विस्तार से प्रतिपरिक्षण किया गया, तथापि, वह अपनी मुख्य परीक्षा परीक्षण के बयान पर बना रहा और बचाव पक्ष ऐसा कुछ भी नहीं उगलवा सका, जिससे इस साक्षी का बयान कुटिल या अविश्वसनीय लगे।

16. भाईलाल (अ.सा.-5) हल्का पटवारी है जिसने प्र.पी-7 का नजरी नक्शा तैयार किया है।

17. रवि सेन (अ.सा.-7) मृतक परमेश्वर गिरि के पिता हैं। इस साक्षी ने शिकायतकर्ता चंद्र सेन गिरि के साक्ष्य की पुष्टि की है कि उसने अपीलार्थीगण को कुल्हाड़ी और भाला लेकर दशरंगपुर की ओर जाते देखा था। इसने आगे कथन किया है कि यह सुनकर वह दशरंगपुर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात राघव और हेमेन्द्र से हुई, जिन्होंने उन्हें घटना के बारे में बताया। यह पहले की घटना के भी साक्षी हैं जिसमें इसने अपीलार्थी नंदकुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी क्योंकि वह उसकी बेटी लीना के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इसने आगे कथन किया है कि उसकी रिपोर्ट पर नंदकुमार के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया था।

18. राघव (अ.सा.-10) ने भी यह कथन किया है कि घटना दिनांक को रात्रि लगभग 9.00 से 9.30 बजे के बीच वह हेमेन्द्र गिरी के साथ स्कूटर पर ग्राम गंडई हेमेन्द्र की बेटी को देखने जा रहा था, तभी उन्होंने स्कूटर की रोशनी में दो व्यक्तियों की शव देखी। शवों को देखने के बाद वह उन्हें पहचान नहीं सका और गांव लौट आया। उसने आगे यह कथन किया है कि उसने मारपीट होते हुए नहीं देखा और उसे अगले दिन पता चला कि परमेश्वर गिरि और गोपाल गिरि की हत्या कर दी गई है। बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रति-परीक्षण में उसने इनकार किया कि उसने परमेश्वर और गोपाल के शव देखने और अपीलार्थीगण को मृतकों पर हमला करते देखने के बारे में कथन किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. रामफल चंद्रवंशी (अ.सा.-11) अपीलार्थीगण के ज्ञापन और उनके ज्ञापनों के आधार पर अपराध करीत करने मे उपयोग हुए हथियारों की जपती का गवाह है। वह अपीलार्थीगण के कपड़ों की ज़ब्ती का भी गवाह है और उसने संबंधित दस्तावेज़ों को प्रमाणित किया है।

20. विवेचना अधिकारी श्री डी.पी. तिवारी (अ.सा.-14) रिपोर्ट दर्ज करने के बाद घटनास्थल चले गए तथा पूर्वगामी कंडिकाओं में वर्णित विवरण के अनुसार विवेचना पूरी की। इस साक्षी ने अपने द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेज़ों को भी प्रमाणित किया है। प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि हेमेंद्र गिरि (अ.सा.-4) रिपोर्ट दर्ज होने के समय शिकायतकर्ता के साथ था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने उसी समय हेमेन्द्र गिरि से पूछताछ नहीं की क्योंकि उन्हें तुरंत घटनास्थल पर जाना था। उसने चंद्र सेन गिरि की सूचना के

आधार पर रिपोर्ट दर्ज की। उसने आगे कथन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय उन्हें पता था कि हेमेंद्र गिरि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था और चंद्र सेन ने घटना नहीं देखी था। उसने हेमेंद्र गिरि का कथन दिनांक 4.7.1999 को लेखबद्ध किया।

21. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कोचर ने प्रबलता से तर्क दिया कि हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) ने घटना नहीं देखा था और उसे जानबूझकर अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में पेश किया गया है। यदि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता तो वह स्वयं रिपोर्ट दर्ज कराता, विशेषकर तब जब वह शिकायतकर्ता के साथ पुलिस थाने गया था और जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो वह पुलिस थाने में मौजूद था। इस संबंध में शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का स्पष्टीकरण अविश्वसनीय है और अपीलार्थीगण का बचाव में यह तर्क कि हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, संभावित है। यह तथ्य राघव (अ.सा.-10) के साक्ष्य से भी स्थापित होती है, जिसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जब वह घटना की रात हेमेन्द्र गिरी के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था, तो उसने मारपीट होते नहीं देखा था और न ही शवों की पहचान की थी। मंजूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[1]; बोल्लवरम पेड्डा नरसी रेड्डी व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[2]; बालकृष्णा स्वैन बनाम उड़ीसा राज्य[3]; रमेश बाबूराव देवस्कर व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य[4] के प्रकरण में पारित निर्णयों का अवलंबन लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जबकि, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने एस. सुदर्शन रेड्डी व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[5]; नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य[6] और केदार सिंह व अन्य बनाम बिहार राज्य[7] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अवलंबन लिया है।

23. मंजूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[1] के प्रकरण में अभियोजन के साक्षी द्वारा अभियुक्तों की पहचान टॉर्च की मदद से की गई थी जिसे होमगार्ड ने अन्वेषण के दौरान विवेचना अधिकारी के समक्ष स्तुत किया था। हालाँकि, उसे ज़ब्त नहीं किया गया और साक्षियों को वापस कर दिया गया। इन परिस्थितियों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण में प्रासंगिक सारवान साक्ष्य को ज़ब्त न करने की निंदा की। हालाँकि, वर्तमान प्रकरण में यह तथ्य कि हेमेन्द्र गिरी (अ.सा.-4) और राघव यादव (अ.सा.-10) ने ग्राम गंडई की ओर जाते समय रास्ते में स्कूटर की रोशनी की सहायता से दो शवों को देखा था, को चुनौती नहीं दी

---

[1] 1998 क्रि.एल.आर. (एससी) 134
[2] 1991 एससीसी (क्रि) 586
[3] एआईआर 1971 एससी 804
[4] (2009) 1 एससीसी (क्रि.) 212
[5] 2006 क्रि.एल.जे. 4033
[6] 2007 एआईआर एससीडब्लू 1835
[7] 1998 एससीसी (क्रि.) 907

गई है क्योंकि इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा राघव (अ.सा.-10) से कोई प्रति-परीक्षण नहीं किया गया है।

24. बोल्लवरम पेड्डा नरसी रेड्डी[2] के प्रकरण में हमलावर साक्षियों के लिए बिल्कुल अनजान थे और इन परिस्थितियों में यह माना गया कि पहचान से संबंधित साक्ष्य की विश्वसनीयता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि साक्षी को अपराध के समय हमलावरों को देखने और उनको याद रखने का कितना अवसर मिला था। उस समय कितना प्रकाश है यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद गवाहों द्वारा संदिग्धों की पहचान कराना भी आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) हमलावर को जनता था और वर्तमान प्रकरण के तथ्य पूर्वोक्त प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं।

25. बालकृष्ण स्वैन[3] के प्रकरण में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का कथन घटना के दस दिन बाद लेखबद्ध किया गया था और उसके साक्ष्य में विरोधाभास था और इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष दिया गया कि साक्षी के परीक्षण में की गई देरी के कारण उसे वास्तव में घटित घटना से भिन्न कथन गढ़ने का अवसर मिल जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. रमेश बाबूराव देवस्कर[4] के प्रकरण में अ.सा.-13 ने विवेचना अधिकारी को घटना के बारे में सूचित किया, जिसमें हमलावर के रूप में ए-9 का नाम तथा अ.सा.-11 को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया। घटना की जानकारी अ.सा.-11 के कथन के आधार पर दी गई। अ.सा.-11 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, बल्कि विवेचना अधिकारी को घटनास्थल जाने को कहा, जिसके पश्चात पंचनामा तैयार करने के बाद मौके पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पंचनामा में उल्लेख किया गया कि मृतक पर कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इन परिस्थितियों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि हत्या के मामले में मृत्यु की समीक्षा के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है। अगले ही दिन उसका कथन दर्ज किया गया। हेमेंद्र गिरि, जो रिपोर्ट दर्ज होने के समय थाने में मौजूद था, के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चंद्र सेन गिरि (अ.सा.-1) द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई तथा रमेश बाबूराव[4] का प्रकरण तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से अलग है।

27. एस. सुदर्शन रेड्डी[5] के प्रकरण में अभियोजन का मामला यह था कि जब मृतक स्कूटर चला रहा था तब अभियुक्तों ने उस पर हंसिया और चाकुओं से हमला किया था, जिससे वह अनियंत्रित होकर गिर गया था। मृतक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति तथा दो अन्य साक्षी जो दूसरे दो पहिया वाहनों पर सवार होकर मृतक से साथ जा रहे थे, से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के

रूप में पूछताछ की गई। पीछे बैठे व्यक्ति के कथन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह मृतक का करीबी रिश्तेदार है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकाश के स्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। बचाव पक्ष की तर्कों को अस्वीकार करते हुए यह निष्कर्ष दिया गया कि यदि साक्षियों का कथन सत्य पाया जाता है तो उसे इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वह करीबी रिश्तेदार है। भारत में '*फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन* ओम्नीबस' लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत केवल साक्ष्य के बल के बारे में है, जिसे न्यायालय किसी निश्चित परिस्थिति में लागू कर सकता है, लेकिन इसे 'साक्ष्य का अनिवार्य नियम' नहीं कहा जा सकता।

28. नामदेव[6] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है;

> "न तो विधानमंडल और न ही न्यायपालिका ने यह निर्धारित किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या होनी चाहिए। हमारी विधिक प्रणाली ने हमेशा साक्षियों की संख्या, बहुलता या बहुसंख्या के बजाय साक्ष्य के मूल्य, बल और गुणवत्ता को महत्व दिया है। इसलिए, एक सक्षम न्यायालय एक अकेले साक्षी का अवलंबन लेकर दोषसिद्धि दर्ज कर सकती है। इसके विपरीत, यदि न्यायालय साक्ष्य की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है तो वह कई साक्षियों के बयान के बावजूद अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है। इसलिए, यह तर्क कि किसी अकेले प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के मामले में दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती, कोई बल नहीं रखता और इसे नकार दिया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. केदार सिंह[7] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है:-

> "दांडिक प्रकरण- पहचान- रात में पहचान- पूरी अंधेरी रात में भी कभी पूर्ण अंधकार नहीं होता- शरीर की आकृति, वस्त्र, चाल, चलने के तरीके आदि के अलावा आवाज से भी पहचान संभव है। घटना रात 8 बजे एक मंदिर के पास घटी, जहां उच्च वाट का एक बल्ब जल रहा था- साक्षी मंदिर से केवल 50 गज की दूरी पर था, इसलिए हमलावरों को पहचानने की उसकी काबिलीयत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा, उसके साक्ष्य का एक अन्य साक्षी तथा चिकित्सा साक्ष्य ने भी समर्थन किया है। इन परिस्थितियों में, अधीनस्थ न्यायालयों का साक्षी पर विश्वास करना उचित था।"

30. यदि हम उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि हेमेंद्र गिरि (अ.सा.-4) का कथन कि वह घटना की रात

राघव यादव (अ.सा.-10) के साथ गंडई गांव जा रहा था, जब उसने सड़क के किनारे एक स्कूटर गिरा हुआ देखा और उसने दो व्यक्तियों को जमीन पर पड़ा देखा, राघव (अ.सा.-10) के साक्ष्य द्वारा भौतिक विवरणों में समर्थित है, जिसने भी अपने मुख्य परीक्षण में उपरोक्त तथ्य बताया है। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसने हमलावरों और मृतक व्यक्तियों की पहचान की, साथ ही हमलावरों के पास मौजूद अपराध के हथियारों की भी पहचान की और उसके बाद वह राघव के साथ गांव लौटा और घटना के बारे में रवि सेन और उसके बाद चंद्र सेन गिरि को बताया। वह शिकायतकर्ता चन्द्र सेन गिरि के साथ पुलिस थाने गया, उन्होंने थाना प्रभारी का इंतजार किया क्योंकि वह गश्त पर गए हुए थे। थाना प्रभारी ने थाना लौटने के बाद चन्द्र सेन गिरी को बुलाया और उससे घटना के बारे में पूछताछ की तथा मर्ग सूचना और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता ने विवेचना अधिकारी (अ.सा.-14) को बताया कि उसके साथ आए व्यक्ति का नाम हेमेंद्र गिरी है और उसने घटना देखी है, हालांकि, उस समय तक रिपोर्ट काफी हद तक लेखबद्ध किया जा चुका था। इस साक्षी के कथन की पुष्टि न केवल राघव (अ.सा.-10) के साक्ष्य से होती है, बल्कि रवि सेन और शिकायतकर्ता चंद्र सेन तथा विवेचना अधिकारी के साक्ष्य से भी होती है, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज होने के समय हेमेंद्र गिरि की पुलिस स्टेशन में उपस्थिति पर कोई विवाद नहीं किया है। अतः, हमारी सुविचारित राय में, हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न होने का स्पष्टीकरण उचित प्रतीत होता है तथा विचरण न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करना सही था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. जहां तक इस तर्क का सवाल है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने स्कूटर की हेडलाइट की सहायता से अभियुक्तों की पहचान की, जबकि प्रकाश के स्रोत का उल्लेख शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया है, तो सिर्फ यह तर्क प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन को निरस्त करने का कारण नहीं हो सकता, विशेषकर, जब राघव (अ.सा.-10) ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि उन्होंने स्कूटर की रोशनी में दो शव देखे थे और बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से स्कूटर में पर्याप्त हेडलाइट नहीं होने जिससे वह शवों को देख सके के संबंध में कोई प्रति-परीक्षण नहीं किया गया।

32. उपरोक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में तत्काल रूप से दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-3) में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अ.सा.-4 का नाम उल्लेखित है तथा यह तथ्य कि चन्द्र सेन गिरि (अ.सा.-1) ने हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की थी, हमारा मत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल इस आधार पर संदिग्ध और अविश्वसनीय

दस्तावेज नहीं बन जाती कि इसे चन्द्र सेन गिरि (अ.सा.-1) द्वारा दर्ज किया गया है, जो अ.सा.-4 द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक अनुश्रुत साक्षी है। इसके अतिरिक्त, विचरण न्यायालय ने अपीलार्थी राजेश को लगी चोट, उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा जाना और उसकी एमएलसी रिपोर्ट प्रमाणित होने की परिस्थितियों पर भी विचार किया है। हालाँकि, अपने शरीर पर मौजूद चोट के बारे में स्पष्टीकरण देने के बजाय, उसने किसी भी प्रकार की चोट होने से इनकार किया है और इस तथ्य को भी अपीलार्थीगण के खिलाफ अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में लिया गया है। अपीलार्थीगण से जब्त किए गए अपराध कारित करने में उपयोग किए गए हथियार और कपड़ों में मानव रक्त था और बचाव पक्ष की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उनसे जब्त किए गए हथियारों और कपड़ों में मानव रक्त कैसे था और यह तथ्य अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोजन के मामले को और मजबूत करता है।

33. अतः, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारी राय है कि विचरण न्यायालय द्वारा हेमेन्द्र गिरि (अ.सा.-4) के साक्ष्य का अवलंबन लेते हुए अपीलार्थीगण को गोपाल गिरि और परमेश्वर गिरि की हत्या के लिए दोषसिद्ध पाना उचित था क्योंकि उसका साक्ष्य विश्वसनीय है।

34. परिणामस्वरूप, अपील में कोई बल नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा	आर. एन. चंद्राकर
न्यायमूर्ति	न्यायमूर्ति

रोशन/-

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Smriti Ekka